15.12.17 बकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी व उनके अभिभाषक उपस्थित नहीं। कई बार आवाजें लगवाये जाने के बावजूद भी वादी व उनके अभिभाषक उपस्थित नहीं आये, अतः उनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। विभाजन प्रस्तावों पर बहस बकील वादी सुनी गयी। वादी के द्वारा विभाजन प्रस्तावों को सही होना स्वीकार किया एवं मुताविक विभाजन प्रस्ताव दावा को डिक्री किये जाने का निवेदन किया। तहसीलदार धौलपुर से प्राप्त विभाजन प्रस्तावों एवं पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। जमावन्दी सम्वत 2065—68 ग्राम मनियां के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 662 व 663 में वादी दिनेश पुत्र बाबूलाल हि0 7/54 का सह खातेदार काश्तकार है। उपरोक्त हिस्सा अनुसार खाते में वादी का हिस्सा 7 विश्वा होता है। विभाजन प्रस्तावों में वादी को 7 विश्वा भूमि ही दी गयी है। अतः उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव रिकार्ड अनुसार सही हैं। वादी ने इन पर अपनी सहमति जाहिर की है तथा प्रतिवादी अपना पक्ष रखने को उपस्थित नहीं आये हैं। इस प्रकार मुताविक विभाजन प्रस्ताव दावा वादी हम अन्तिम डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि दावा वादी मुताविक विभाजन प्रस्ताव डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 662/1 रकवा 7 विश्वा पूर्व दिशा ग्राम मनियां का वादी दिनेशचन्द पुत्र बाबूलाल जाति कोली निवासी मौहल्ला गडरपुरा घर्रामी गली धौलपुर को एवं आराजी खसरा नम्बर 662/2 रकवा 19 विश्वा पश्चिम दिशा व आराजी खसरा नम्बर 663 रकवा 1 वीघा 8 विश्वा का गीतादेवी पत्नी लाखन सिंह हि0 7/44 जाति कोरी सा. टांडा, ज्ञानसिंह पुत्र तोताराम हि0 20/47 जाति खटीक सा0देह, ज्वाला पुत्र बचना गोलो पुत्री स्व0 बचना हि0 20/47 जाति जाटव निवासी दयेरी को संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज कर खाता पृथक कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। मुद्रांक शुल्क पेश करने पर पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.12.17 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (मु0)
धौलपुर

Scanned by CamScanner